प्रेस नोट दि0-17.08.2025 जनपद प्रतापगढ़

थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ

थाना हथिगवां पुलिस द्वारा अवैध रूप से हरे नीम के पेड़ की कटान व चोरी में संलिप्त 02 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर-ट्राली व जेसीबी बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अवैध वृक्ष कटान एवं तस्करी के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है-

अभियुक्तों को थाना हथिगवां क्षेत्रान्तर्गत पुरनेमऊ नहर रोड़ जियालाल के निर्माधीन मकान के पास ग्राम चिरैया के पास से गिरफ्तार किया गया है-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण व थाना हथिगवां प्रभारी निरीक्षक श्री नन्दलाल सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 रामप्रताप सिंह मय हमराह उ0नि0 रघुवीर दास रस्तोगी,उ0नि0 सुभाष सिंह यादव, का० अनिल कुमार यादव मय चालक पीआरडी ऋषि कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र व शान्ति व्यवस्था ड्यूटी के दौरान, मुखबिर की सूचना पर 02 अभियुक्तों, 1. नितेश सरोज पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी सिंहन का पुरवा थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ 2. देशराज यादव पुत्र रामविशाल यादव निवासी जुडवानी का पुरवा मौजा रहवई थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ को घटना में प्रयुक्त 01 अदद ट्रैक्टर मय ट्राली, 01 अदद जेसीबी, चोरी के नीम की हरी लकडी लदी हुई के साथ पुरनेमऊ नहर रोड़ जियालाल के निर्माधीन मकान के पास ग्राम चिरैया थाना हथिगवां प्रतापगढ़ के पास से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद ट्रैक्टर मय ट्राली, 01 अदद जेसीबी, चोरी के नीम की हरी लकडी लदी हुई बरामद किया गया है । जिसके संबंध में थाना हथिगवां में मु0अ0सं0 159/25 धारा 303(2)/317(2)बीएनएस व 4/10 उ0प्र0 ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधि0 1976 व 3/28 उ0प्र0 इमारतीय व अन्य वन उपज अभिवाहन नियमावली 1978 बनाम 04 नामजद व 02 अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

घटना में प्रयुक्त 01 अदद ट्रैक्टर मय ट्राली, 01 अदद जेसीबी को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त देशराज यादव उपरोक्त से पूछताछ करने पर बताया कि डीहा जंगल के पास से ठेकेदार हिमालय सरोज पुत्र हरीलाल सरोज निवासी बेंती थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ व कल्लू यादव पुत्र बदीप्रसाद यादव निवासी डीहा बैसन का पुरवा थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ व दो अन्य लोग जिनका नाम हम नहीं जानते सभी लोग मिलकर डीहा जंगल के पास से हरे नीम के पेड को कटवाकर मैं व जेसीबी चालक द्वारा नीम की कटी हुई लकडी को ट्रैक्टर में लादकर लकड़ी टाल पर ले कर बेचने जा रहे थे। हम लोग हिमालय सरोज व कल्लू यादव के कहने से उनके साथ हरे नीम के पेड़ को चोरी से काटकर बेचने हेतु लकड़ी टाल पर ले जा रहे थे दोबारा अब नहीं करेगें।

हिमालय सरोज व कल्लू के बारे में पूछने पर बताया कि आपने जब हम लोगो की गाडी को रुकवा रहे थे, उसी समय पीछे से हिमालय सरोज व कल्लू यादव व उनके साथ दो लोग और जो जेसीबी के पीछे पीछे बाइक से आ रहे थे आप लोगो को देखकर मो०सा0 पीछे मोडकर पुरनेमऊ की तरफ भाग गये।

<u>अभियुक्तों का विवरण-</u>

01. नितेश सरोज पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी सिंहन का पुरवा थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ।

02. देशराज यादव पुत्र रामविशाल यादव निवासी जुडवानी का पुरवा मौजा रहवई थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ।

<u>बरामदगी-</u>

घटना में प्रयुक्त 01 अदद ट्रैक्टर मय ट्राली, 01 अदद जेसीबी, चोरी के नीम की हरी लकडी लदी हुई बरामद।

<u>पुलिस टीम-</u>

उ0नि0 रामप्रताप सिंह मय हमराह उ0नि0 रघुवीर दास रस्तोगी,उ0नि0 सुभाष सिंह यादव, का० अनिल कुमार यादव मय चालक पीआरडी ऋषि कुमार थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

<u>थाना-पट्टी, जनपद-प्रतापगढ</u>

थाना पट्टी पुलिस को बड़ी सफलता – चोरी के अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना पट्टी पुलिस द्वारा गिरफ्तार 01 अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 01 भैंस को बरामद किया गया

थाना पट्टी पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम डेईडीह धौरहरा के पास से गिरफ्तार किया गया है।

<u>घटना का विवरण-</u>

दिनांक-16/08/2025 को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम डेईडीह धौरहरा,सराय मधई में वादी की भैस घर के बाहर वधी हुई थी कि समय रात्रि को 02 अज्ञात चोर द्वारा भैस को चुरा ले गये, भैस को चुराते समय वादी के परिजनों द्वारा घर से बाहर भैस ले जाते हुए देखा गया। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना पट्टी में मु0अ0सं0 240/2025 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात अभियुक्त का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण में थाना पट्टी प्रभारी निरीक्षक श्री अभिषेक सिरोही के नेतृत्व में उ0नि0 अनिश कुमार यादव मय हमराह का सोनू यादव द्वारा चेकिंग सदिग्ध व्यक्ति, सदिग्ध वाहन, तलाश वाछिंत अपराधी के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना पट्टी पर मु0अ0सं0 240/2025 धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त राजन मंगता पुत्र मन्तराम निवासी ग्राम डेईडीह धौरहरा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 34 वर्ष को चोरी की 01 भैंस के साथ थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम डेईडीह धौरहरा के पास से गिरफ्तार किया गया है। उक्त बरामदगी के आधार मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. राजन मंगता पुत्र मन्तराम निवासी ग्राम डेईडीह धौरहरा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 34 वर्ष।

अभियुक्त राजन मंगता पुत्र मन्तराम निवासी ग्राम डेईडीह धौरहरा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 34 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 254/2019, धारा 399/402/307 भा0द0वि0, थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

2- मु0अ0सं0 259/2019, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

3- मु0अ0सं0 431/2019, धारा 379/411 भा0द0वि0, थाना बदलापुर, जनपद जौनपुर।

4- मु0अ0सं0 264/2019, धारा 379/411 भा0द0वि0, थाना चाँदा, जनपद सुलतानपुर।

5- मु0अ0सं0 003/2020, धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट, थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

6- मु0अ0सं0 240/2025, धारा 303(2) बीएनएस, थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त से भागने वाले के बारे में पूछा गया तो उसका नाम सुरज पुत्र सन्तराम निवासी ग्राम डेईडिह धौरहरा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ बताये और यह भी बताया की हम लो मिलकर भैंस चोरी किये थे। लेकिन जन्म अष्टमी होने के कारण काफी लोग आ जा रहे थे। इसी लिये छुप कर बैठे थे कि आप लोगो द्वारा पकड लिया गया। हम लो पहले भी कई भैस चोरी कर बेच चुके है। यही हम लोगो के रोजी रोटी का जरिया है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 अनिश कुमार यादव मय हमराह का सोनू यादव थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

<u>थाना मानिकपुर,जनपद प्रतापगढ</u>

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म, अपहरण, पॉक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को बुलाकीपुर चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण व थाना मानिकपुर प्रभारी निरीक्षक श्री दीप नारायण के नेतृत्व में व0उ0नि0 रामनारायण सिंह मय हमराह का० रामचरन प्रजापति द्वारा देखभाल क्षेत्र/संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 65(1)/351 (3)/352 बी.एन.एस. व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना मानिकपुर, प्रतापगढ से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त अनूप कुमार यादव उर्फ ज्ञानी पुत्र रामखेलावन उम्र करीब 28 वर्ष निवासी बल्दी का पुरवा कुशाहिलडीह थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ को थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत बुलाकीपुर चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- अनूप कुमार यादव उर्फ ज्ञानी पुत्र रामखेलावन उम्र करीब 28 वर्ष निवासी बल्दी का पुरवा कुशाहिलडीह थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ।

पुलिस टीम का विवरण-

व0उ0नि0 रामनारायण सिंह मय हमराह का० रामचरन प्रजापति थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।